Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 14-12-2006

Participants : Yadav Shri Ram Kripal

>

Title: Need to provide information regarding various examination conducted by UPSC under R.T. I.Act, 2005.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2006 के परिणाम 10 अगस्त, 2006 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्र ाकाशित किया गया (7766)। किन्तु सैंकड़ों परीक्षार्थी इस परिणाम से असंतुट थे। वे संर्घा भी कर रहे हैं। इसका कारण था - स्वयं के टेक्स्ट बुक से मिलाए गए उत्तरों की संख्या अधिक वाले छात्र असफल सूची में किन्तु कम सही करने वाले सफल सूची (7766) में सम्मिलित। उपर्युक्त विपरीत स्थिति के आलोक में छात्रों ने आयोग से गुहार की एवं सूचना के अधिकार कानून, 2005, जो हाल में ही पास हुआ, के परिप्रेक्ष्य में कुछ सूचनाएं मांगी जो निम्नलिखित हैं - वियवार एवं समुदाय आधारित कट्-ऑफ मार्क्स, स्वयं का प्राप्तांक, वैकल्पिक विाय एवं सामान्य अध्ययन का मॉडल उत्तर, स्केलिंग पद्धति क्या है? इसका प्रयोग यूपीएससी कैसे करती है? लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र क्यों निरस्त किया गया? किन्तु आयोग ने एक माह बाद उपरोक्त मांगों को नहीं माना एवं तर्क दिया कि यह क्रूशियल सिक्रेट एक्ट, बैद्धिक सम्पदा अधिकार एवं लोकहित के अंतर्गत नहीं है। अत: उपर्युक्त सूचनाएं छात्रों को नहीं दी जा सकती हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सूचना अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों के विरोध में ट्रांसपेरैंसी सीकर्स के द्वारा अपीलीय प्राधीकरण में आवेदन किया गया। वहां से भी उपर्युक्त तर्क प्राप्त हुए तथा परीक्षा की प्रकृति को अनप्र ोडिक्टेबिलिटी ऑफ मेथोडोलॉजी बताया गया।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं बता रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप सुन लीजिए।

इन निर्णयों के खिलाफ असंतुट छात्रों ने केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, जैसा कि आरटीआई एक्ट, 2005 में वर्णित है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की पूर्ण खंडपीठ ने क्रमश: 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 3 नवम्बर के बीच यूपीएससी के तर्क और असंतुट छात्रों के तर्कों को सुना और 13 नवम्बर को अपना निर्णय सुनाया, जो निमनलिखित है -

- यूपीएससी दो सप्ताह के भीतर छात्रों के प्राप्तांक बताए।

- यूपीएससी दो सप्ताह के भीतर छात्रों का कट-ऑफ मार्क्स बताए और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो सफल छात्रों का कट-ऑफ मार्क्स बताए।

- एक माह के भीतर समिति के माध्यम से विशेाज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करे।

लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले को अस्वीकार करते हुए 27 नवम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत के लिए आवेदन दिया जहां उसे 16 जनवरी तक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय दे दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में संज्ञान लिया जाए। उपर्युक्त मांगों के आधार पर ही इस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हुआ है, लेकिन 4 महीने पूरे होने के बाद भी छात्र संघर्षरत हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्यों की राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्थाएं हैं। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना के अधिकार कानून से पूर्व सफल एवं असफल परीक्षार्थियों का प्र ाप्तांक बताया जाता रहा है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : उदाहरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा, 1999 से ही प्र ति वर्ष आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक, स्केलिंग पद्धति विस्तृत ढंग से बताया जा रहा है। इस वर्ष कर्नाटक लोक सेवा आयोग को कर्नाटक राज्य सूचना आयोग ने यह निर्देश दिया है कि वह प्राप्तांक तथा उत्तर पत्र भी प्रत्येक परीक्षार्थी को दिखाया जाए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी प्राप्तांक बताए जा रहे हैं। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपीएससी यह काम नहीं कर रहा है। बड़े पैमाने पर ऐजीटेशन है क्योंकि ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के छात्र उसमें सम्मिलित हुए थे। जो परिणाम प्रकाशित हुआ है, उसमें उनकी हकमारी हुई है। आरटीआई एक्ट के माध्यम से सूचना नहीं दी जा रही है। इसमें कहीं न कहीं घपला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसमें अविलंब हस्तक्षेप करे और संघर्षरत छात्रों के साथ न्याय करे जो ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के छात्र हैं।... (व्यवधान) इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें अविलंब न्याय दिलाने का काम करना चाहिए।[MSOffice103]